



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 3045 वर्ष 2026

श्याम कुमारी और 2 अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायालय में
राजस्व अधिकारी, प्रयागराज और 4 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : संतोष कुमार
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ यह रिट याचिका दायर की है:-

"i. दिनांक 01.11.2022, 25.01.1990, 13.03.1999 और 13.11.2007 के वे दस्तावेज़ उपलब्ध कराए जाएं, जो एसडीएम द्वारा 09.11.2022 को आवासीय पट्टा के संबंध में बनाई गई रिपोर्ट है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को वाद संख्या 1467/2025 संदीप कुमार बनाम श्याम कुमारी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 66 के तहत खारिज कर दिया गया है।"

2. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका को आगे न बढ़ाने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की है।

3. की गई प्रार्थना स्वीकृत की जाती है।

4. रिट याचिका खारिज की जाती है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को उसी कारण पर नई रिट याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

6. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्रतिवादी संख्या 5-संदीप कुमार पुत्र श्री प्रेम चंद्र निवासी ग्राम-गोटावन, परगना-झूंसी, तहसील-फूलपुर, जिला प्रयागराज को मुख्य न्यायिक आयुक्त, प्रयागराज के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर संप्रेषित करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

19 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"